

3. प्रवर कोटि के आशुलिपिकों का पदनाम वरीय निजी सहायक तथा वर्ग 1 के आशुलिपिकों का पदनाम निजी सहायक के होने के फलस्वरूप उन कार्यालयों में कठिनाई होगी जहाँ पहले से ही निजी सहायक की संज्ञा के वरीय पद सृजित हैं (जैसे आयुक्त के निजी सहायक आदि) वैसे पदों का पदनाम, विभागीय मंत्री तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर तुरत बदल दिया जाय।

4. राजपत्रित किये जानेवाले पदों का वेतनमान 355—580 रु० है। इन राजपत्रित पदों के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं जैसे प्रेरणा भत्ता, बच्चों के लिए शिक्षावृत्ति तथा सरकारी गल्ले का अधिकतर राशन। राजपत्रित हो जाने से ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं रहेंगी। फिर चूँकि राजपत्रित होने से इन पदों का कार्यभार गुरुतर हो जायगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन राजपत्रित पदों का वेतनमान 290—15—380—द० रो—15—500—20—540—द० रो—20—600—25—650 रु०—(न्यूनतम वेतन 365 रु०) रहेगा तथा इन पदों के वर्तमान पदधारकों का वेतन अराजपत्रित पदों से राजपत्रित पदों में उत्क्रमित होने से फलस्वरूप नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के साधारण नियमों के अनुसार निर्धारित होगा। भविष्य में इन पदों पर जिनकी प्रोन्नति होगी उनका वेतन निर्धारण भी साधारण नियमों के अनुसार होगा।

5. राजपत्रित हो जाने के बाद भी यदि बिहार सेवा-संहिता के नियम 82 के अनुसार कोई वर्तमान पदधारक अराजपत्रित पद पर ही वर्तमान वेतनमान में रहना चाहे तो उनकी सेवा अवधि काल तक, वर्तमान वेतनमान में अराजपत्रित ही रहेगा।

6. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजपत्रित घोषित किये जाने के बाद भी इन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति देने के मामले में जो नियुक्ति पदाधिकारी अभी हैं वे ही रहेंगे, सरकार नहीं। इसलिए नियुक्ति/प्रोन्नति देने के पहले लोक-सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा और छोटी-छोटी अवधि के लिए पूर्ववत् प्रोन्नति दी जाती रहेगी।

7. इस संकल्प के आधार पर प्रशाखा प्रधानों आदि की सहमति प्राप्त कर तथा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से भिन्न-भिन्न पदों को राजपत्रित किए जाने का तथा उसपर व्यक्ति विशेष की नियुक्ति का आदेश संबंधित विभाग महालेखापाल को वित्त विभाग के माध्यम से भेज देंगे। उन राज्यादेशों के आधार पर महालेखापाल वेतन का प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे। उन सभी पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिकाएँ बनवाकर रखेंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियाँ राजपत्र में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जायँ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सरकार के सभी सचिव/सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखापाल, बिहार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

पत्र सं० ओ० एम०/पी०-01/69—364, दिनांक 7 अगस्त 1969, श्री सच्चिदानन्द सिंह, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (संवर्तन एवं पद्धति प्रशाखा), बिहार द्वारा सरकार के सभी विभागों एवं सचिवालय एवं सचिवालय के संलग्न एवं संबंधित कार्यालयों को प्रेषित।

विषय—प्रशाखा पदाधिकारियों का कर्त्तव्य निर्धारण।

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 2540, दिनांक 31 मई 1968 द्वारा प्रशाखा प्रधान को उत्क्रमित कर प्रशाखा पदाधिकारी की संज्ञा दी गई तथा उनका वेतनमान 290—650 रु० (न्यूनतम वेतन 365 रु०) किया गया। उनके नये उत्क्रमित पद पर प्रशाखा पदाधिकारी के कर्त्तव्य के संबंध में सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय हुआ है कि सचिवालय अनुदेश द्वारा निर्धारित प्रशाखा प्रमुख के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा किये जायेंगे :—

“(क) सभी लम्बित संचिकाओं की सूची (संचिका जो बाहर भेजी गयी हो तथा एक महीने के अन्दर निष्पादित होकर नहीं आयी हो) प्रशाखा पदाधिकारी हर महीने के आरम्भ में अपनी देख-रेख में बनवायेंगे तथा अवर-सचिव के माध्यम से उपस्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिससे संचिका के निष्पादन में शीघ्रता आ सके।

(ख) प्रशाखा पदाधिकारी पत्र-प्राप्ति की स्वीकृति-सूचना भेजेंगे।”